न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2021, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

उनवान

1. श्रीमती कलावती देवी पुत्री श्री मूलचन्द पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम–नांगल उर्फ अभयपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा हाल मेठियों की बगीची के पास, चूली गेट, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोंपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत स्थानान्तरण पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा में विचाराधीन वाद संख्या 117/2018 उनवान कलावती बनाम लादूराम वगै.

उपस्थिति : श्री अशोक बैरवा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक 8.9.2021

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि एक वाद संख्या 117/2018 व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र उनवानी कलावती बनाम लादूराम वगै. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में विचाराधीन है। प्रार्थिया द्वारा उपखण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसमे वादी एवं प्रतिवादी एक ही पिता की संताने है। आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 129 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा में से हिस्सा 1/2 व आराजी खसरा नम्बर 151 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा में से हिस्सा 1/8 कुल किता 3 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम नांगल उर्फ अभयपुरा पटवार हल्का मिर्जापुर तहसील लालसोट में स्थित है जिसे वाद में वादग्रस्त घोषित किया गया है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थिया के पिता स्व. श्री मूलचन्द की कृषि भूमि है। जो कि पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का बराबर–बराबर हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को धमकी दी गई कि मेरी उक्त प्रकरण में अधिकारी से सांठगांठ हो चुकी है। प्रतिवादीगण राजनैतिक परिवार से सम्बन्ध रखते है जो की उपखण्ड अधिकारी लालसोट से मिलकर उक्त प्रकरण को अपने पक्ष में निर्णित करवाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी से मिल चुके है एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थिया को धमकियां दी गई है कि हमने उक्त प्रकरण में सांठ–गांठ कर ली है प्रार्थिया को उपखण्ड अधिकारी लालसोट से न्याय की कतई उम्मीद नहीं रही है। प्रार्थिया द्वारा उपखण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष विचाराधीन प्रकरण कलावती बनाम लादूराम प्रकरण संख्या 117/2018 मय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>प्रकरण संख्या 08/2021, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण</u>

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट से टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थिया द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि वाद संख्या 117/2018 व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र उनवानी कलावती बनाम लादूराम वगै. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में विचाराधीन है। दिनांक 3.8.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 लादूराम वादग्रस्त आराजी पर आया तथा प्रार्थिया को जबरन भूमि से बेदखल कर वादग्रस्त भूमि का बेचान दीगर व्यक्ति को करने की धमकी दी जिससे परेशान होकर प्रार्थिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द फरमाने तथा अपनी पैतृक भूमि में अपने नाम से खातेदार घोषित करवाये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष दिनांक 13.8.2018 को दावा मय अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। दिनांक 6.12.2020 को न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को एक्सपार्टी करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त वाद में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का पेश किया जिसे उपखण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा दिनांक 27.10.2020 को शामिल पत्रावली करने का आदेश पारित किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर नहीं लिया तथा न्यायालय द्वारा अपनी मनमर्जी करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से साज करते हुए लाभ पहुंचाने की गरज से बिना प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये ही प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब पेश करने एवं प्रकरण में उपस्थित होने के लिये अवसर दे दिया गया। उक्त प्रकरण को 6 माह में निस्तारित करने हेतु माननीय न्यायालय राजस्व बोर्ड अजमेर द्वारा टी.ए.नं. 2702/2019 में आदेश पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी लालसोट को आदेश पारित किये गये थे परन्तु 6 माह की अवधि गुजर जाने के पश्चात भी प्रकरण का निस्तारण नही किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थिया को धमकी दी गई कि मेरी उक्त प्रकरण में अधिकारी से सांठ–गांठ हो चुकी है एवं मै उक्त प्रकरण में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर मेरी मर्जी के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर कार्य करूंगा व उक्त प्रकरण का मेरे पक्ष में निस्तारण करवा लूंगा। प्रार्थिया को उपखण्ड अधिकारी लालसोट से किसी प्रकार की न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 रोज सुबह आकर न्यायालय परिसर में बातचीत करता है कि उक्त प्रकरण का निस्तारण अधिकारी से मिलकर स्वयं के पक्ष में करवा लूंगा। प्रतिवादीगण राजनैतिक परिवार से सम्बन्ध रखते है एवं राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जो उपखण्ड अधिकारी लालसोट से उक्त प्रकरण को अपने पक्ष में निर्णित करवाने हेतु मिल चुके है। प्रार्थिया गरीब परिवार का सदस्य है एवं प्रार्थिया को न्याय प्रणाली पर पूर्णतया विश्वास है। अधिवक्ता प्रार्थिया द्वारा उपखण्ड अधिकारी लालसोट के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 117/2018 उनवानी कलावती बनाम लादूराम मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>प्रकरण संख्या 08/2021, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण</u>

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि प्रार्थिया द्वारा प्रकरण को देरीना करने के उद्देश्य से उपखण्ड अधिकारी लालसोट के खिलाफ झूंठे आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थिया द्वारा पीठासीन अधिकारी पर जो आरोप लगाया गया है वे बेबुनियाद और मनगढंत है। उपखण्ड अधिकारी लालसोट ने अपनी टिप्पणी में व्यक्त किया है कि पीठासीन अधिकारी किसी व्यक्ति को जानते पहचानते नहीं है। प्रकरण में नियमानुसार ही निस्तारण किया जावेगा। उपखण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने में कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट ने अपनी टिप्पणी में उक्त पत्रावली का स्थानान्तरण किसी अन्य सक्षम न्यायालय में किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट के न्यायालय में विचाराधीन दावा मु. सं. 117/2018 उनवानी कलावती बनाम लादूराम मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को उपखण्ड अधिकारी लालसोट के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी दौसा के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट को निर्देशित किया जाता है कि दावा मु. सं. 117/2018 उनवानी कलावती बनाम लादूराम मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल पत्रावली दिनांक 28.10.2021 से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा को भिजवावे। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु दिनांक 28.10.2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में उपस्थित हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकरी दौसा को निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ तहरीर भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 8.9.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा